

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2-
संख्या-85/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टीओसीओ-279-30प्र03अधो-1-2017-आदेश-(343)-2025
लखनऊ: दिनांक: 13-02-2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा अधिसूचना संख्या KA.NI.-2-844/XI-9(47)/17-U.P.Act-1-2017-Order-(11)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, स्तंभ (3) में, शब्द "कोई भी व्यक्ति" के पश्चात, शब्द "जो कि निगमित निकाय नहीं है" बड़ा दिए जाएंगे।

(ख) क्रम संख्या 5कख के समक्ष, स्तंभ (4) में, शब्द "कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" के पश्चात, शब्द "जो कि संयोजन उद्ग्रहण के अधीन केंद्रीय कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति नहीं है" बड़ा दिए जाएंगे।

2- यह अधिसूचना दिनांक 16.01.2025 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

Signed by

M Devraj (M. देवराज)
प्रमुख सचिव।

Date: 13-02-2025 12:17:14